अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे भा0प्र0से0, **समाहर्त्ता नवादा की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.13 को सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही–**

उपस्थिति– पंजी के अनुसार

समय– 10.30 बजे पूर्वा0

स्थान– समाहर्त्ता प्रकोष्ठ, नवादा

सर्वप्रथम समाहर्त्ता द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अगली बैठक से अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जायेगी ।

- **वास रहित महादलित परिवारों को चारों स्रोतों से भूमि बंदोवस्ती करने संबंधी मामले–** इसके अंतर्गत गैरमजरूआ आम तथा खास एवं वासगीत पर्चा एवं क्रय नीति अंतर्गत लक्ष्य को हर हाल में 31 जनवरी तक पूरा करने का निदेश दिया गया ।
- **लोक सेवा का अधिकार–** इसके अंतर्गत सभी देय सेवाओं का ससमय निष्पादन करना है । सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि 15 अगस्त 2011 से अद्यतन तिथि तक सभी देय सेवाओं का प्रविष्टि प्रतिवेदन तथा निष्पादन प्रतिवेदन गार्ड फाईल में संधारित करना सुनिश्चित करेंगे । लोक सेवा के अधिकार के तहत सुचारू रूप से सेवा प्रदान करने हेतु सभी अंचल अधिकारी एक सहायक को आर टी पी एस काउन्टर पर प्रतिनियुक्त करेंगे । आवेदक को प्राप्ति रसीद देते समय कार्यालय प्रति पर आवेदक से रसीद प्राप्ति का प्रमाण ले लेंगे । एक व्यक्ति से एक बार में अधिकतम तीन आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे । प्रमाण पत्रों को कार्यालय में संधारित पंजी से निर्गत करेंगे तथा निर्गत संख्या अंकित करेंगे।
- **बेदखली–** अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को विभिन्न स्रोतों से की गयी भूमि बंदोवस्ती के पश्चात् उस पर दखल कब्जा नहीं हो पाने के प्रायः कई मामले आते रहते हैं । इससे संबंधित मामले की पंजी संधारित करना अनिवार्य है। अगर किसी अंचल में बेदखली के मामले नही होंगे तो संबंधित अंचल अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि **'प्रमाणित किया जाता है कि हमारे अंचल में बेदखली का कोई भी मामला नहीं है।'**
- लगान की वसूली– वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शत–प्रतिशत वसूली करने का निदेश दिया गया।

उक्त सामान्य निदेश के पश्चात् बिन्दूवार समीक्षा की गयी –

1. महादलित विकास योजना– बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि गैर मजरूआ आम तथा खास भूमि की बंदोवस्ती के अंतर्गत नरहट में 55, पकरीबरावाँ में 15, रजौली में 78, कौवाकोल में 38 परिवारों को अभी बंदोवस्ती नहीं की गयी है । सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि 31 जनवरी तक अवशेष बचे परिवारों के साथ बंदोवस्ती कर लक्ष्य को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर/रजौली को निदेश दिया गया कि भूमि बंदोवस्ती का पर्यवेक्षण अपने स्तर से करेंगे । वास रहित महादलित परिवारों का पुनर्सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करके 31 जनवरी तक प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता)

2. लोक सेवा का अधिकार– समीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी अंचलों में प्रमाण पत्र एवं दाखिल खारिज के कई मामले समयावधि बीत जाने के बाद भी अभी तक लंबित हैं । इस संबंध में अंचल अधिकारी, वारिसलीगंज, रोह, कौवाकोल के अंचल अधिकारियों द्वारा बताया कि Synchronise नहीं होने के कारण यह लंबित रह जाता है । समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अगर नेटवर्क समस्या के कारण Synchronise नहीं हो पाता है तो आई. टी. असिस्टेंट को नवादा भेजकर Synchronise कराना सुनिश्चित करेंगे । जिला आई. टी. मैनेजर तथा नोडल पदाधिकारी, आर.टी.पी.एस को निदेश दिया गया कि अगर आई. टी. असिस्टेंट के लापरवाही के कारण निष्पादित मामले लंबित रहते हैं तो संबंधित आई. टी. असिस्टेंट के मानदेय से 500 रू0 की कटौति कर लेना है । सभी अंचल अधिकारी किसी भी मामले का कम–से–कम पॉच दिन पूर्व निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे । आवेदन पत्र पर आवेदक से उनका मोबाईल नम्बर अंकित कराना अनिवार्य है ।

आर टी पी एस संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सभी अंचलों में सभी देय सेवाओं का समयावधि बीत जाने के बाद काफी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं । अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा

सदर/रजौली/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नवादा सदर/रजौली को निदेश दिया गया कि समयावधि बीत जाने के बाद के मामले में विधिवत् जुर्माना करना सुनिश्चित करेंगे ।

अंचल अधिकारी, कौवाकोल से लोक सेवा के अधिकार के तहत कितने मामले लंबित है, के बारे में जानकारी मॉगी गयी तो वे इस संबंध में कुछ भी नहीं बता पाये । समाहर्त्ता द्वारा इस मामले में उनसे स्पष्टीकरण की मॉग करने का निदेश दिया गया ।

समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि आर टी पी एस काउन्टर पर अगर बिचौलिया पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी/आई टी मैनेजर, नवादा/ नोडल पदाधिकारी, लोक सेवा का अधिकार, नवादा/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी)

3. दाखिल खारिज– आर. टी. पी. एस. संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सभी अंचलों में दाखिल खारिज हेतु समयावधि बीत जाने के बाद काफी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं । भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नवादा सदर/रजौली को निदेश दिया गया कि समयावधि बीत जाने के बाद के मामले में विधिवत् जुर्माना करना सुनिश्चित करेंगे । दाखिल खारिज के निष्पांदन के अंतर्गत शुद्धिपत्र अथवा अस्वीकृति पत्र आर. टी. पी. एस. काउन्टर के माध्यम से ही देना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता)

4. C.W.J.C/M.J.C/Title suit से संबंधित मामले– सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में जो भी वाद दायर किया गया है उसका यथाशीघ्र तथ्य विवरणी बनाकर प्रतिशपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित करेंगे । इस संबंध में यह निदेश दिया गया है कि जिसे पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध वाद दायर किया गया है कि उस पदाधिकारी के द्वारा ही अंतिम रूप से तथ्य विवरणी का अनुमोदन किया जायेगा । दायर सभी मामलों में 31 जनवरी तक प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, नवादा)

5. सेवान्त लाभ– सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि किसी कर्मी को सेवान्त लाभ देने की प्रक्रिया उसके सेवानिवृति से छः माह पूर्व प्रारंभ कर दिया जाय । साथ–ही निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी अपने कार्यालय में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों की सूची एक माह पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में उन्हें ससम्मान सेवानिवृति दी जा सके ।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला)

6. नीलाम पत्र वाद– माह दिसम्बर 2012 में नीलाम पत्र वाद के तहत शून्य राशि वसूल करने वाले सभी अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मॉग करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला)

7 भू–लगान– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला का कुल वसूली का प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप नहीं है । इनमें कौवाकोल, नरहट, मेसकौर तथा नारदीगंज की स्थिति अत्यन्त ही खराब है । सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया माह जनवरी 2012 तक 60 प्रतिशत राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करेंगे । साथ–ही वसूल की गयी राशि को साप्ताहिक बैठक में राजस्व कर्मचारियों से प्राप्त कर अंचल नाजिर से ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे । जमा की गयी राशि का ट्रेजरी चालान की छायाप्रति जिला राजस्व शाखा में भी भेजेंगे । सभी अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा राजस्व वसूली का दिया गया प्रतिवेदन का मिलान ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा की गयी राशि से होना चाहिए, अन्यथा जमा की गयी राशि की वसूली राशि मानी जाएगी।

8. अतिक्रमण:– इससे संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया । सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला को निदेश दिया गया कि अगली माह में विभिन्न प्रकार से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए हल्कावार कम–से–कम एक पाईन–आहर, एक सड़क तथा एक पक्का निर्माण को तोड़ कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला)

9. भू–अभिलेख कम्प्युटराईजेशन– सरकार के निदेशानुसार 31 मार्च तक भू–अभिलेखों का कम्प्युटराईजेशन किया जाना है । इसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया अभी तक मात्र 15–16 प्रतिशत रैयतों का ही कम्प्यूटराईजेशन हेतु प्रपत्र भरा गया है । इस संबंध में सभी अंचल अधिकारियों, नवादा

जिला को निदेश दिया गया कि जनवरी 2013 तक तक भू–अभिलेखों का कम्प्युटराईजेशन कार्य हेतु सभी रैयतों का प्रपत्र 1 एवं 2 भर कर अनुमंडल में जमा करना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

10. व्यावसायिक लगान– दोनों अनुमंडलों की समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि माह नवम्बर में बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत एक भी प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं भेजा गया है । पूर्व की बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अनुसार वैसे मामलों में जिसमें कृषि योग्य भूमि पर बिना गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन किये ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जैसे– चिमनी भट्ठा, क्रेशर, बड़े–बड़े स्कूल कम्पलेक्स, सिनेमाहॉल, बाजार कम्पलेक्स, गैस गोदाम, मोटरगाड़ी का शो–रूम इत्यादि बनाये गये हैं तो अधिनियम के अनुसार प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे । इसके अलावे में किसी भी अंचल अधिकारी के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया गया है, जिससे सरकारी राजस्व की हानि हो रही है, समाहर्त्ता द्वारा खेद प्रकट किया गया । सभी अंचल अधिकारियों को ईट–भट्ठे एवं क्रेशरों की सूची उन्हें उपलब्ध करा दी गयी है । सभी हल्का कर्मचारी एवं अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि उक्त संस्थानों पर व्यावसायिक लगान निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

11. जन शिकायत– सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय/आयुक्त कार्यालय/जिला जनता दरबार से प्राप्त जन शिकायत पत्रों का निष्पादन 31 जनवरी 2013 तक करना सुनिश्चित करेंगे।

12. अन्य बिन्दू– सभी अंचल अधिकारी को बिन्दूवार अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे तथा 30–सूत्री प्रतिवेदन के साथ अनुपालन प्रतिवेदन भी भेजेंगे । साथ–ही निदेश दिया गया कि 30–सूत्री प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कार्यावली के अनुरूप प्रत्येक माह के तीसरी तारीख तक भेजना सुनिश्चित करेंगे । अगर 3री तारीख तक प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा नवादा में नही भेजा जाता है तो बिना किसी कारणपृच्छा के उनके विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी । सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन किसी सुयोग्य कर्मी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। ताकि त्रुटियों का निराकरण कराया जा सके।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

समाहर्त्ता,
नवादा।

ज्ञापांक 135 /रा0, नवादा दिनांक 01 ~~जनवरी~~ फरवरी 2013 ।

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर/रजौली/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर/रजौली/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, नवादा/नोडल पदाधिकारी, आर टी पी एस नवादा/ आई टी मैनेजर नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

समाहर्त्ता,
नवादा।